न्यायालय उप जिलाधिकारी, एटा

वाद सं0–टी2016182104491

धारा–143 ज0वि0अधि0

मौजा–हिम्मतपुर, परगना–मारहरा, तहसील व जिला एटा।

श्रीमती सुनीता जैन

बनाम

गांवसभा

निर्णय

प्रार्थिया श्रीमती सुनीता जैन प्रवन्धक/सचिव सोवरनसिंह ऐजूकेशन इंस्टीट्यूट वाई पास रोड हिम्मतपुर गहराना ने उपरोक्त धारा के अन्तर्गत प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि वह मौजा हिम्मतपुर की भूमि खाता सं0 235 की गाटा सं0 206/1.348है0 में से 0.337है0 के दक्षिणी भाग लगानी 8–50/–रु0 की मालिक काबिज राजस्व अभिलेखों में दर्ज कागजात है। विवादित गाटा के पास में गाटा सं0 205 स्थित है। जिसमें कालेज संचालित है। विवादित भूमि में विद्यालय निर्माणाधीन होने के कारण खेती नही हो रही है। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि संस्था के नाम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थिया ने भूमि गाटा सं0 206/1.348है0 में से 0.337है0 गाटा के दक्षिणी भाग लगानी 8–50/–रु0 के सम्बन्ध में स्थलीय जांच कराकर उक्त भूमि को कृषि भूमि के स्थान पर आबादी घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रा0 पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार एटा से जांच कराई गयी। तहसीलदार एटा ने अपनी जांच आख्या दिनांक 26.12.2015 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि मौजा हिम्मतपुर की भूमि गाटा सं0 206/1.348है0 में से 0.337है0 पर सोवरनसिंह ऐजूकेशन इस्टीट्यूट वाई पास रोड हिम्मतपुर गहराना प्रवन्धक/सचिव सुनीता जैन का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज कागजात है। विवादित गाटा के पास में भूमि गाटा सं0 205 स्थित है। जिसमें कालेज संचालित है। विवादित भूमि में कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि कार्य नही हो रहा है। वल्कि मौके पर विद्यालय निर्माणाधीन है। इस प्रकार तहसीलदार एटा ने विवादित भूमि को कृषि भूमि के स्थान पर अकृषक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या दी है। आख्या के साथ स्थल का नक्शा नजरी व फोटो चित्र भी दाखिल किया है। आख्या प्राप्त होने पर गांवसभा को सम्मन जारी किया गया। जो वाद तामील पत्रावली में शामिल है। वावजूद तामील गांवसभा की ओर से कोई आपत्ति नही आयी। सहखातेदार हरिओम व राहुल पुत्रगण अनेगपाल आदि ने अनापत्ति शपथपत्र प्रस्तुत किया, तथा हरिओम ने स्वंय का कथन भी अंकित कराया। जिसमें उन्होंने विवादित भूमि गाटा सं0 206/0.337है0 वादिया को राहुल से जरिये वैनामा प्राप्त होना और विवादित भूमि में विद्यालय निर्माणाधीन होने का कथन स्वीकार किया है। प्रार्थिया ने स्वंय के व्यानों में यह कथन स्वीकार किया है कि विवादित भूमि मौके पर कोई कृषि कार्य नही हो रहा हैं मात्र विद्यालय के प्रयोजनार्थ ही प्रयोग में लायी जा रही है।

मैने पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया तथा पक्षों को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि मौजा हिम्मतपुर की भूमि खाता सं0 235 की गाटा सं0 206/1.348है0 में से 0.337है0 लगानी 8–50/–रु0 राजस्व अभिलेखों में सोवरनसिंह ऐजूकेशन इस्टीट्यूट वाई पास रोड हिम्मतपुर द्वारा प्रवन्धक/सचिव श्रीमती सुनीता जैन के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रुप में दर्ज कागजात है। तहसीलदार एटा की आख्या से स्पष्ट है कि विवादित भूमि में कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि कार्य नही हो रहा है। मौके पर विद्यालय की नीव भरी हुई है। प्रश्नगत भूमि सुरक्षित एवं पट्टे वाली भूमि नही है। उक्त भूमि से सम्बन्धित किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है। विवादित भूमि विद्यालय के प्रयोजनार्थ ही प्रयोग में लायी जा रही है, अन्य किसी प्रयोग में नही। तहसीलदार एटा ने भी विवादित भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी है, जो स्वीकार किये योग्य है।

प्रबन्धक/सचिव
सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीट्यूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर,गहराना (एटा)

सदर एटा

क्रमशः..........2

प्रबन्धक/सचिव
सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीट्यूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर,गहराना (एटा)

(2)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार एटा की आख्या दिनांक 26.12.2015 स्वीकार की जाती है, तथा उक्त आख्या के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अकृषक भूमि घोषित विषयक प्रा0 पत्र भी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा हिम्मतपुर की भूमि खाता सं0 235 की गाटा सं0 206/1.348है0 में से 0.337है0 लगानी 8-50/-रु0 को कृषि भूमि के स्थान पर अकृषक भूमि घोषित किया जाता है। तहसील आख्या के साथ संलग्न नक्शा नजरी आदेश का अंग रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार एटा को अमलदरामद हेतु भेजी जाय, तथा एक प्रति अनुपालन हेतु उप निबन्धक एटा को भेजी जाय। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक 06 -02-2016

उप जिलाधिकारी,
एटा

Attested
6/2/16
Reader to SDO
Etah

सदर एटा

प्रबन्धक / सचिव
सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीट्यूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर,गहराना (एटा)

प्रबन्धक / सचिव
सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीट्यूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर,गहराना (एटा)

न्यायालय उप जिलाधिकारी एटा

वाद संख्या : 22 /2012 / धारा 143 जमीं०वि०अधि०

मौजा – हिम्मतपुर परगना मारहरा तहसील व जिला एटा ।

सोवरन सिंह बनाम सरकार आदि

निर्णय

प्रार्थी सोवरन सिंह सचिव/प्रबन्धक सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीटयूट बाईपास रोड हिम्मतपुर गहराना ने उपरोक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि मौजा हिम्मतपुर के खाता संख्या 232 की गाटा संख्या 205/0.676 है० लगानी 16/- रू० के 1/2 भाग वतरफ पूरब 0.338 है० लगानी 8/- रूपये के काश्तकार संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील हैं तथा सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीटयूट बाईपास रोड हिम्मतपुर गहराना के सचिव/प्रबन्धक हैं । प्रार्थी ने यह भी कहा है कि उक्त भूमि विद्यालय भवन निर्माण हेतु दिनांक 19.5.12 को क्रय की गयी थी । क्रय करने के बाद उक्त गाटा के आधा भाग के यानी प्रार्थी के हिस्से वाली भूमि के मौके पर कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि भूमि आबादी के रूप में प्रयोग की जा रही है । विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने से प्रार्थी को सख्त हकतल्फी है । इस प्रकार प्रार्थी ने मौजा हिम्मतपुर की भूमि गाटा संख्या 205/0.676 है० के 1/2 भाग यानी 0.338 है० को जांचोंपरान्त अकृषक भूमि घोषित कर भूराजस्व से मुक्त किये जाने का निवेदन किया है । प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने स्वयं का शपथपत्र एवं विवादित गाटा से सम्बन्धित उद्धरण खतौनी भी दाखिल की है ।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार एटा से जांच कराई गयी । तहसीलदार एटा ने अपनी जांच आख्या दिनांक 22.9.12 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि मौजा हिम्मतपुर की भूमि गाटा संख्या 205/0.676 है० के 1/2 भाग यानी 0.338 है० व तरफ पूरब विद्यालय का निर्माण कार्य हो रहा है तथा स्थल पर निर्माण हेतु ईटें आदि पड़ी हुई हैं। उक्त भूमि में कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है । उक्त गाटा सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीटयूट बाईपास रोड हिम्मतपुर गहराना जिला एटा सचिव/प्रबन्धक सोवरन सिंह के नाम स०भू० दर्ज कागजात है । इस प्रकार तहसीलदार एटा ने उक्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या दी है ।

आख्या प्राप्त होने पर विपक्षी गांव सभा आदि को सूचित किया गया बावजूद तामील उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं आयी । प्रार्थी सोवरन सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का कथन अंकित कराया जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के 1/2 भाग के विद्यालय की बिल्डिंग बनी हुई है तथा 1/2

प्रबन्धक / सचिव
सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीटयूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर गहराना (एटा)

प्रबन्धक / सचिव
सोवरनसिंह एजूकेशन इन्स्टीट्यूट
बाईपास रोड़ हिम्मतपुर गहराना
जिला–एटा

प्रबन्धक / सचिव
सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीट्यूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर गहराना (एटा)

भाग सहखातेदार हरिओम पुत्र अनेक सिंह के नाम दर्ज है जिसका वह मालिक व काबिज है। विवादित भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है वह विद्यालय के प्रयोजनार्थ अकृषक भूमि घोषित कराना चाहते हैं । प्रार्थी ने सहखातेदार हरिओम का भी सशपथ कथन अंकित कराया जिसमें इन्होने विवादित भूमि विद्यालय के प्रयोजन हेतु प्रयोग किये जाने का कथन स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि जो विद्यालय के नाम है को अकृषक भूमि घोषित होने में उसे कोई आपत्ति नहीं है । मुन्नी देवी ने भी विवादित भूमि में कोई कृषि कार्य न किये जाने का तथ्य स्वीकार किया है।

मैनें पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया तथा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से विदित है कि मौजा हिम्मतपुर की खतौनी खाता संख्या 232 की विवादित गाटा संख्या 205/0.676 है० के 1/2 भाग पर सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीटयूट बाईपास रोड हिम्मतपुर गहराना जिला एटा द्वारा प्रबन्धक/सचिव सोवरन सिंह पुत्र बुद्ध सिंह निवासी ग्राम का नाम सं०भू० के रूप में दर्ज कागजात है । तहसीलदार एटा की आख्या दिनांक 22.9.12 के अवलोकन से विदित है कि विवादित भूमि में कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि उक्त गाटा के 1/2 भाग यानी 0.338 है० लगानी 8/- रू० बतरफ पूरब विद्यालय का निर्माण कार्य हो रहा है । विवादित भूमि सुरक्षित भूमि नहीं है । प्रार्थी विद्यालय के प्रयोजनार्थ ही अपने भाग की भूमि को अकृषक भूमि घोषित कराना चाहता है जिसे घोषित होने में सहखातेदार हरिओम आदि को कोई आपत्ति नहीं है । विवादित भूमि विद्यालय के प्रयोजनार्थ ही प्रयोग में लाई जा रही है अन्य किसी प्रयोग में नहीं । उक्त तथ्यों के आधार पर तहसीलदार एटा की आख्या दिनांक 22.9.12 स्वीकार के योग्य है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार एटा की आख्या दिनांक 22-9-12 स्वीकार की जाती है तथा उक्त आख्या के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अकृषक भूमि घोषित विषयक प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा हिम्मतपुर की भूमि खाता संख्या 232 की गाटा संख्या 205/0.676 है० के 1/2 भाग यानी 0.338 है० लगानी 8/- रूपया जो सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीटयूट बाईपास रोड हिम्मतपुर गहराना जिला एटा द्वारा प्रबन्धक/सचिव सोवरन सिंह के नाम अंकित, को कृषि भूमि के स्थान पर अकृषक भूमि घोषित कर भूराजस्व से मुक्त किया जाता है । आदेश की प्रति अमल अदरामद हेतु तहसीलदार एटा को भेजी जाये तथा एक प्रति अनुपालन हेतु उप निबन्धक एटा को भेजी जाये ।। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होवे।

A86 94

(हस्ताक्षर) 18.12.12

उप जिलाधिकारी

एटा

दिनांक - 18 /12/2012

प्रबन्धक / सचिव
सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीटयूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर,गहराना (एटा)

प्रबन्धक / सचिव
सोवरन सिंह एजूकेशन इन्स्टीटयूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर,गहराना (एटा)

प्रबन्धक / सचिव
सोवरनसिंह एजूकेशन इन्सटीटयूट
बाईपास रोड हिम्मतपुर गहराना
जिला-एटा

TRUE COPY
S.D.M. Etah